



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 974]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 27, 2003/कार्तिक 5, 1925

No. 974]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 27, 2003/KARTIKA 5, 1925

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(महिला और बाल विकास विभाग)

(Department of Women and Child Development)

अधिसूचना

NOTIFICATION

नई दिल्ली, 24 अक्टूबर, 2003

New Delhi, the 24th October, 2003

का.आ. 1235(अ).—केन्द्रीय सरकार, साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 21 के साथ पठित शिशु दुग्ध अनुकल्प, पोषण बोतल और शिशु खाद्य (उत्पादन, प्रदाय और वितरण विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2003 (2003 का 38) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला और बाल विकास विभाग) की अधिसूचना सं. का.आ. 880(अ) तारीख 1 अगस्त, 2003 को, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 1 अगस्त, 2003 में प्रकाशित की गई थी, विखंडित करती है और 1 जनवरी, 2004 को, उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको शिशु दुग्ध अनुकल्प, पोषण बोतल और शिशु खाद्य (उत्पादन, प्रदाय और वितरण विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2003 (2003 का 38) प्रवृत्त होगा।

S.O. 1235(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 1 of the Infant Milk Substitutes, Feeding Bottles and Infant Foods (Regulation of Production, Supply and Distribution) Amendment Act, 2003 (38 of 2003) read with Section 21 of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Human Resource Development (Department of Women and Child Development) number S.O. 880(E), dated the 1st August, 2003, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 1st August, 2003 and appoints the 1st day of January, 2004, as the date on which the Infant Milk Substitutes, Feeding Bottles and Infant Foods (Regulation of Production, Supply and Distribution) Amendment Act, 2003 (38 of 2003) shall come into force.

[फा. सं. 12-3/97-टीआर. II/एमई]

[No. F. 12-3/97-TR. II/ME]

कस्तूरी गुप्ता मेनन, सचिव

KASTURI GUPTA MENON, Secy.